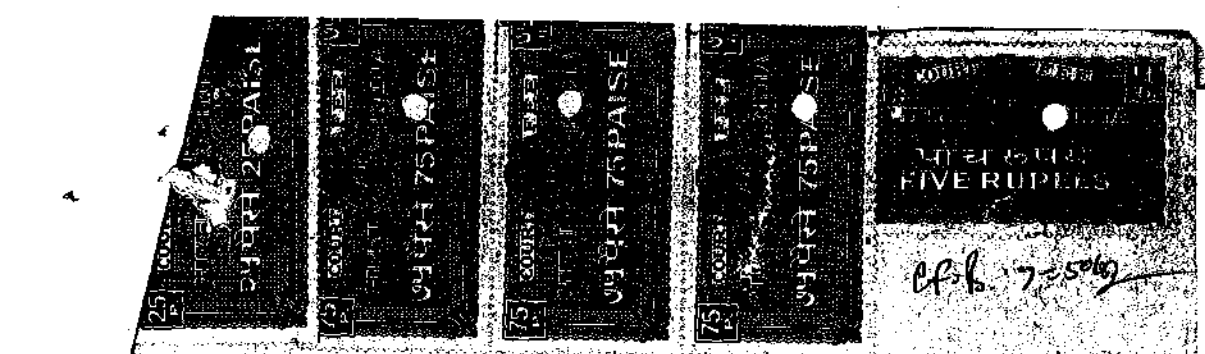

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /92 पुनरावलोकन Rev-14-IV/92

रफीकउद्दीन खॉ पुत्र करामत खॉ, निवासी
ग्राम-रोजड़ तहसील-बसौदा जिला-विदिशा

विरुद्ध

1. चांदमल पुत्रगण पन्नालाल जैन
2. राजमल
निवासीगण कुरवाई जिला विदिशा
3. राजेन्द्रसिंह
4. वीरेन्द्रसिंह पुत्रगण कन्हैयालाल
5. पवन कुमार
6. सरजूप्रसाद पुत्र लक्ष्मीप्रसाद
निवासीगण ग्राम गुरोली तहसील कुरवाई
जिला - विदिशा
7. मोहम्मद खॉ पुत्र सरदार खॉ
8. विधवा पत्नी माधौसिंह नाम नामालूम
9. देवसिंह
10. प्रेमसिंह पुत्रगण माधौसिंह
11. उदयसिंह
12. धानसिंह
13. रामदुलारी विधवा पहलवानसिंह
14. मन्नूसिंह
15. सुमनसिंह
16. शिवराजसिंह समस्त पुत्रगण पहलवानसिंह
17. हरीसिंह
18. चैनसिंह
19. पद्मपालसिंह
निवासीगण ग्राम भौरासा तह0-कुरवाई
जिला- विदिशा
20. सुशीलादेवी पुत्री पहलवानसिंह पत्नी
बहादुरसिंह
21. फूलादेवी पुत्री पहलवानसिंह पत्नी गोविन्द
निवासीगण ग्राम-गरबा, तहसील-बुरई, सागर
22. खुर्शीदन बी बेवा नुरूद्दीन
23. बुन्नू खॉ
24. इसरार खॉ पुत्रगण नुरूद्दीन
25. अनवर रउद्दीन
26. बदरूल पुत्र नुरूद्दीन
निवासीगण ग्राम-रोजड़, तहसील
जिला विदिशा

ग्राम-ओखनयाजी, तहसील-सिरोंज, जिला-विदिशा.

28. मुन्नी बी पत्नी निसार मोहम्मद एडवोकेट मुगांवली जिला- गुना म०प्र०

29. नन्ही बी पत्नी अमीन खाँ

30. बेहरून बी पत्नी साबिर खाँ निवासीगण ग्राम-रोजड़, तहसील-बासौदा, जिला - विदिशा.

31. शमशुद्दीन पुत्र मोजुद्दीन खाँ निवासी ग्राम-मौरासा, तहसील- कुरवाई, जिला - विदिशा

पुनरीक्षण प्र०क्र० 134-3/88 में माननीय सदस्य श्री अमरसिंह द्वारा पारित आदेश दिनांक 24-8-92 के पुनरावलोकन हेतु आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 भू राजस्व संहिता 1959.

... करता

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 14—चार/1992 जिला —विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6—7—2016	पुनरीक्षण प्रकरण कमांक 134—3/88 में तत्कालीन सदस्य द्वारा पारित आदेश दिनांक 24—08—1992 के विरूद्व यह पुनरावलोकन आवेदन संहिता की धारा—51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार कुरवाई जिला —विदिशा के न्यायालय में मूल आवेदनकर्ता चांदमल आदि (वादिगण) ने तहसीलदार कुरवाई के समक्ष आवेदन दिया कि उनकी भूमि पर प्रतिवादीगण सरजू प्रसाद आदि ने अवैध आधिपत्य कर लिया है । अतः उन्हें आधिपत्य दिलाया जायें एवं अवैध आधिपत्य हटाये जाने के दिनांक तक का हरजाना दिलाया जाये। तहसीलदार ने उक्त आवेदन पर कार्यवाही करते हुये प्रकरण क्रमांक 3/56X18/13 में कार्यवाही करते हुये दिनांक 08/11/1976 को आदेश पारित किया एवं वादिगण चांदमल आदि का आवेदन स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध रफीकउद्दीन ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील क्रमांक 20/77—78 प्रस्तुत की, जिसे समयवाधित मानकर दिनांक 04/11/1981 को निरस्त किया गया।	

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध रफीकउद्दीन ने अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के न्यायालय में द्वितीय अपील क्रमांक 71/81–82 प्रस्तुत की, जो दिनांक 20–09–1988 को अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध रफीकउद्दीन द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन को राजस्व मण्डल के विवादित आदेश द्वारा निरस्त किया गया । राजस्व मण्डल के आदेश के पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये आवेदन पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये । अनावेदकगण सूचना के बाद भी अनुपस्थित रहे । अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित की जा चुकी है ।

3/ इस न्यायालय के समक्ष रफीकउद्दीन ने पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत किया था। रफीक उद्दीन की मृत्यु के बाद उनके विधिक उत्तराधिकारियों को आवेदकगण के रूप में स्थापित किया गया है । आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 31/08/1987 को जो आदेश पारित किया था, उसकी संसूचना न होने से आदेश की जानकारी वास्तविक जानकारी के दिनांक से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष समयावधि में अपील प्रस्तुत की गई थी।

4/ आवेदक के अभिभाक ने अपने तर्क में कहा कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपीलकर्ता ने अपने स्वयं का शपथ–पत्र तथा अपने अभिभाषक श्री

अपने शपथ–पत्र में आगे यह भी कहा कि नायब तहसीलदार ने अपनी डायरी में तारीख लिख ली थी । दिनांक 22–12–1976 को नायब तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होने पर उन्हें बताया गया कि मिसल मेरे घर पर ही है आप 18–2–1977 की तारीख नोट कर ले। इसी प्रकार आगे दिनांक 27–4–1977 28–4–1977,18–6–1977,16–8–1977, 30–9–1977 एवं 19–11–1977 की तारीख दी गई एवं ये तारीखे उन्हें डायरी से बतायी गयी । अभिभाषक ने बताया कि अभिभाषक श्री अमीर मोहम्मद का शपथ–पत्र अनुविभागीय अधिकारी की नस्ती के पृष्ठ क्र0–9 पर लगा है एवं अपीलकर्ता ने भी अपना शपथ–पत्र दिया था, जो उस नस्ती के पृष्ठ क्र0–11 पर उपलब्ध है ।

5/ आवेदकों के अभिभाषक ने अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील के साथ प्रस्तुत अभिभाषक श्री अमीर मोहम्मद एवं अपीलार्थी रफीकउद्दीन के शपथ–पत्रों का उल्लेख करने के पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के आधार पर तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में उपरोक्त शपथ–पत्रों का उल्लेख तो किया है परन्तु अपने आदेश के पृष्ठ तीन पर लिखास है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में रिस्पोन्डेन्ट एवं उसके अभिभाषक श्री मोहम्मद युनुस की उपस्थिति दिनांक 2–11–1976 एवं 8–11–1976 को है तथा उनके हस्ताक्षर भी है, तब यह तथ्य भी सही प्रतित नहीं होता है कि अपीलान्ट को नियत दिनांक 2–11–1976 को कोई तिथि नहीं दी गई थी। अभिभाषक

आदेश में उपरोक्त शपथ-पत्रों का उल्लेख तो किया है परन्तु अपने आदेश के पृष्ठ तीन पर लिखास है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में रिस्पोन्डेन्ट एवं उसके अभिभाषक श्री मोहम्मद युनुस की उपस्थिति दिनांक 2-11-1976 एवं 8-11-1976 को है तथा उनके हस्ताक्षर भी है, तब यह तथ्य भी सही प्रतित नहीं होता है कि अपीलान्ट को नियत दिनांक 2-11-1976 को कोई तिथि नहीं दी गई थी। अभिभाषक का कहना है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का यह आधार कि दिनांक 2-11-1976 को अभिभाषक मोहम्मद युनुस उपस्थित थे, अभिलेख के विपरीत है । अभिभाषक ने दिनांक 2-11-1976 को प्रथम बार तथा पुनःश्च लिखी गई आदेश पत्रिका का अवलोकन कराते हुये कहा कि दिनांक 2-11-76 को अभिभाषक मोहम्मद युनुस की उपस्थिति का आधार अभिलेख के विपरीत है । उक्त दिनांक को सूचना उपरांत भी उपस्थित न होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी ।

6/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में बतताया कि प्रथमतः तहसील न्यायालय में अनुपस्थित के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी एवं आगे कहा कि कोई भी अभिभाषक मिथ्या शपथ-पत्र नहीं देता है एवं यदि अभिभाषक स्वयं अपना शपथ-पत्र देता है तक उसमें किये गये अभिकथनों का न्यायालय संज्ञान लेना चाहिए एवं उन पर विश्वास करना चाहिए ।

प्रस्तुत करते हुये तर्क दिया कि विलम्ब से अपील की कार्यवाही करने में आवेदक का कोई लाभ नहीं था, और न ही पक्षकार की यह मंशा हो सकती है कि उसकी सम्पत्ति नीलाम हो जाये। इन तर्कों के आधार पर आवेदक अभिभाषक का कहना है कि आवेदक न्याय प्राप्त करना चाहते है जिसके लिये वे निरन्तर न्यायालयीन कार्यवाही करते रहें है ।

7/ आवेदक के अभिभाषक ने अपने तर्कों के अन्त में कहा कि अपर आयुक्त के समक्ष अपील ज्ञापन में अपील के आधारों से सम्बंधित पदं क्रमांक 3,4 एवं 5 में उपरोक्त तर्कों का अभिकथन किया था, परन्तु अपर आयुक्त ने उनका निराकरण नहीं किया जैसा कि उनके आदेश से स्पष्ट है। राजस्व मण्डल के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन के पद 4 एवं 5 तथा 6 में भी यह आधार लिये थे, परन्तु राजस्व मण्डल ने अपने विवादित आदेश में उनका निराकरण नहीं किया एवं तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 2–11–1976 तथा 8–11–1976 को उल्लेख करते हुये यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि एकपक्षीय आदेश दिया गया है तक उसके विरूद्ध आदेश आधारित है। विवादित आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभिभाषक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की गई और न ही कोई निष्कर्ष निकाला गया है जो अभिलेख की प्रथम दृष्टया भूल है। जब किसी प्रकरण में विवादित बिन्दु के मूल कारण एवं आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया हो तब ऐसा आदेश पुरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार निर्मित करता है ।

तथा 6 में भी यह आधार लिये थे, परन्तु राजस्व मण्डल ने अपने विवादित आदेश में उनका निराकरण नहीं किया एवं तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिका दिनांक 2–11–1976 तथा 8–11–1976 को उल्लेख करते हुये यह निष्कर्ष निकाला है कि यदि एकपक्षीय आदेश दिया गया है तक उसके विरूद्ध आदेश आधारित है। विवादित आदेश में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अभिभाषक द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के सम्बन्ध में कोई विवेचना नहीं की गई और न ही कोई निष्कर्ष निकाला गया है जो अभिलेख की प्रथम दृष्टया भूल है। जब किसी प्रकरण में विवादित बिन्दु के मूल कारण एवं आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया हो तब ऐसा आदेश पुरावलोकन हेतु पर्याप्त आधार निर्मित करता है । 1964 रेवेन्यू निर्णय 437 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है । अन्त में उनका कहना था कि आवेदक न्याय प्राप्त करना चाहते है एवं विवादित आदेश के कारण वे न्याय से वंचित हो जाते है । 2000(2) म0प्र0 वीकली नोटस 63 एवं 2000 (2) म0प्र0 लॉ जनरल 13 अवलोकन हेतु प्रस्तुत किये गये है ।

8/ मेरे द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में संलग्न अभिभाषक श्री अमीर खां ने जो शपथ–पत्र दिया है उस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रतित नहीं

सजगता से अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यवाही करते रहे है एवं उन्होंने कोई लापरवाही नहीं है । अतः न्यायदान हेतु मूल प्रकरण का गुणदोषों पर निराकरण किया जाना न्यायोचित एवं न्यायहित में आवश्यक है । माननीय सर्वोच्य न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने 1998 (2) म0प्र0 वीकली नोट्स 194, 2006(1) म0प्र0 लॉ जनरल 619, 2005 (4) म0प्र0 लॉ जनरल 232 यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि तकनीकी बिन्दू पर अथवा समयावधि के प्रश्न पर किसी पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं किया जाना चाहिए तथा न्यायालय को सदार रूख अपनाकर न्याय की ओर अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में मैं पाता हूँ कि आवेदकगण का पुनरावलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है । दर्शित परिस्थितियों में आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्को एवं अभिलेख के आधार पर यह पनुरावलोकन आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व मण्डल, अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश इस प्रकरण की परिस्थितियों के प्रकाश में निरस्त किये जाते है तथा यह निर्देश दिये जाते है कि अनुविभागीय अधिकारी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य करते हुए दोनों पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देकर प्रथम अपील का गुणदोषों पर निराकरण करें।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य